संख्या-15/2021/1284/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक,
   पिकप,
   पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2021**

विषयः- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों विषयक शासनादेश संख्या-1359/77-6-2017-5(एम)/2017, दिनांक 25.10.2017 के क्रम में इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के अनुसार मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के क्रम में मेगा परियोजनान्तर्गत विशेष सुविधाएं एवं रियायतें नियमावली के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक प्रदान करने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-3958/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 के क्रमांक-4 पर अंकित मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0, चन्दौली (पूर्वांचल क्षेत्र) के संबंध में "कैप्टिव सोलर पावर प्लांट" इंगित हो गया है जबकि यह "कैप्टिव पावर प्लांट" होना चाहिए जो कि कम्पनी द्वारा इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के साथ लगाया जाना प्रस्तावित है।

2. अतः इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15.03.2021 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के अनुसार मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-3958/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं:-

शासनादेश सं0 3958/77-6-20-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 में इंगित तथ्य	**शासनादेश सं0 3958/77-6-20-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 में संशोधित तथ्य**
मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0, चंदौली में स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिये	मेसर्स गैलेन्ट मैटेलिक्स लि0, चंदौली में स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिये क्रम संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम संख्या 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 7 एवं 8 पर आवेदित सुविधाएं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट इस शर्त के साथ निर्गत किया जाये कि इकाई द्वारा **कैप्टिव सोलर पावर प्लांट** का पूर्ण उपभोग करने पर ही इसकी लागत के सापेक्ष सुविधाएं प्रदत्त की जायेंगी। यदि इकाई द्वारा विद्युत का विक्रय किया जायेगा तो ऐसी दशा में इसकी लागत अर्ह निवेश राशि से घटा दी जायेगी।	1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 7 एवं 8 पर आवेदित सुविधाएं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट इस शर्त के साथ निर्गत किया जाये कि इकाई द्वारा **कैप्टिव पावर प्लांट** का पूर्ण उपभोग करने पर ही इसकी लागत के सापेक्ष सुविधाएं प्रदत्त की जायेंगी। यदि इकाई द्वारा विद्युत का विक्रय किया जायेगा तो ऐसी दशा में इसकी लागत अर्ह निवेश राशि से घटा दी जायेगी।

3. शासनादेश संख्या-3958/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/प्रावधान यथावत् रहेंगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-15/2021/1284(1)/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1,तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
7. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
8. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
9. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश इनवेस्ट यूपी की बेवससाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।